राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 86 / 2025 अपील

भैरू लाल पुत्र श्री गोपाल लाल माली, निवासी रायला, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा	बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेड़ा जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी	–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार, रायला बप्रकरण संख्या 03 / 2021 ना०क० सरकार बनाम भैरू लाल माली कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांकित 24 / 08 / 2021

उपस्थित –

1. श्री अरूण देराश्री, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार, रेस्पोन्डेन्ट की ओर से

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 04 / 05 / 2026

प्रस्तुत अपील अनुसार पटवारी रायला द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ना0त0 रायला में आ.न 4432 / 2911 में से 0.50 है० भूमि पर, अप्रार्थी फसल संवत 2078 के दौरान अतिक्रमण कर फसल मेड अवैध कब्जा कर मेड कर लेने पर पटवारी ने धारा 91(3) नोटिस जारी किया गया। जिसमें अपीलाण्ट ने अपनी पुश्तैनी भूमि पर ही काबिज होने बाबत् कथन किया, लेकिन उसे नजरअंदाज कर बेदखल कर लगान का 50 गुणा 80 /– रू अर्थदण्ड से दण्डित किया जाने का आदेश दिया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा कोई सरकारी भूमि की मेड़ पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है। बल्कि अपीलार्थी के दादाजी हीरा पुत्र उदा माली के नाम पर आराजी नम्बर 2916 रकबा 06 बिस्वा गे0मु0 दर्ज रेकार्ड है, यह बाड़ा वक्त भू प्रबंध की कार्यवाही से पूर्व का ही है और उक्त बाडा साबिक रेकार्ड 2040 / 1 में से अपीलार्थी के दादाजी के नाम पर दर्ज है, तभी से उक्त बाड़े पर थोहर की बाड उसी समय से लगी हुई है। लेकिन पटवार हल्का द्वारा वैमन्सयता पूर्वक बिना अपीलार्थी को सूने बाड़ लगाकर नया अतिक्रमण बताकर 91 एल.आर.एक्टे की कार्यवाही की है, जिसमे रिपोर्ट पटवारी में किसी भी मौतबीर के हस्ताक्षर नही है। केवल मात्र प्रफोर्मा यानि छपा छपाया निर्णय में केवल मात्र नाम पत्ते आदि भरकर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है, अपीलार्थी के पूर्वजो के बाड़े की भूमि एवं उक्त सरकारी भूमि सटमा है, यदि अपीलार्थी की भूमि की नपती किये जाने पर कोई सरकारी भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो अपीलार्थी हटाने को तैयार है। पत्रावली पर केवल मात्र पटवार हल्का की रिपोर्ट होकर उसके बयान भी नही है। इस कारण से भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य

4.5.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नही थी व दिनांक 28/08/2022 को पटवार हल्का द्वारा जबरन बेदखल करने के लिए आया व न्यायालय द्वारा बेदखल करने का आदेश पारित करने की जानकारी दी जिस पर अपीलार्थी ने जानकारी कर नकल हेतु आवेदनपत्र दिनांक 30/08/2022 को पेश किया व नकल दिनांक 31/08/2022 को प्राप्त हुई, तब उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई व जानकारी की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। लेकिन निर्णय की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किए गए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त मनन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विवेचन उपरान्त पाया गया कि विवाद गैर मुमकिन मेड की नपती को लेकर है। अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य है, अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर प्रकरण में नायब तहसीलदार रायला को रिमाण्ड कर निर्देशित किया है प्रकरण में पैमाईश तकनीकी रूप से कराई जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेड़ा व नायब तहसीलदार रायला को प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.5.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा